बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–22/2026(स्वा0) ...../पटना, दिनांक .....

श्री अखिलेश शर्मा, परिधापक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरघाटी, गया को फर्जी नियुक्ति पाये जाने के उपरांत सिविल सर्जन, गया के पत्रांक–621 दिनांक–27.02.2018 द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया। समादेश याचिका सं0–7127/2020 में दिनांक–10.07.2020 के पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय सकारण आदेश सं0–2020(4) दिनांक–13.12.2022 द्वारा श्री शर्मा, सेवामुक्त परिधापक को ग्रुप जीवन बीमा एवं सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि की अनुमान्यता नहीं होने के कारण भुगतान नहीं करने का आदेश दिया गया।

2. उपरोक्त निहित आदेश की अवहेलना करते हुए डा0 उदय कुमार (कोटि क्रमांक–G198/2025) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरघाटी, गया के पत्रांक–253 दिनांक–07.09.2026 द्वारा श्री शर्मा का भुगतान करने की प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु विभाग को सूचना प्रेषित करने, उनके पत्रांक–230 दिनांक–16.09.2026 द्वारा जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, गया को खाता पुनर्जीवित करने एवं पत्रांक–235 दिनांक–23.09.2026 द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना सूचना सहायक रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।

3. डा0 उदय कुमार, (कोटि क्रमाक–G198/2025) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरघाटी, गया को विभागीय आदेश की अवहेलना कर अप्राधिकृत रूप से पत्राचार करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1)(क) के अधीन निलंबित किया जाता है।

4. डा0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. डा0 कुमार का निलंबन अवधि हेतु मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

6. डा0 कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत की जायेगी।

7. उपरोक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–22/2026(स्वा0) 14790(98)/**पटना, दिनांक** 09.10.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गयाजी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गयाजी/सिविल सर्जन, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

09/10/2026

(15)

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डा0 उदय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरघाटी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 4(A), 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/10/2026

सरकार के अवर सचिव।